भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3197

जिसका उत्तर 21 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है।

.....

बांधों की सुरक्षा जांच

3197. श्री रामदास तडस:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में बहुप्रयोजन जैसे सिंचाई और जल विद्युत के लिए निर्मित बांधों की सुरक्षा जांच करवाने के लिए कोई मजबूत तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवधिक सुरक्षा जांच करने वाले निकायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) 100 वर्ष पूरे कर चुके और जीवन तथा संपत्ति के लिए खतरा बन चुके बांधों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र के ऐसे बांधों का ब्यौरा क्या है जिन्हें बंद करने के लिए कार्रवाई की गई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) और (ख): बांधों के प्रचालन और अनुरक्षण सहित उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से बांध स्वामियों की है, जो अधिकांशत: राज्य सरकारें और केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं। बांध स्वामी आमतौर पर अपने अधिकार क्षेत्र के बांधों का सुरक्षा निरीक्षण (आवधिक मानसून पूर्व और मानसून के बाद के निरीक्षण के संदर्भ में) करते हैं। कुछ राज्यों ने अपने बांधों की व्यापक लेखा परीक्षा के लिए बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल का भी गठन किया है।

बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 की धारा 31 के अनुसार, निर्दिष्ट बांध के प्रत्येक स्वामी को अपनी बांध सुरक्षा इकाई के माध्यम से प्रत्येक निर्दिष्ट बांध की मानसून पूर्व और मानसून के बाद का निरीक्षण करना और निरीक्षण रिपोर्ट को संबंधित राज्य बांध सुरक्षा संगठन को अग्रेषित करना अनिवार्य किया गया है, जो विनिर्दिष्ट बांध के मालिक के लिए रिपोर्ट का विश्लेषण करेगा और सुरक्षा, कमी और उपचारात्मक उपायों, यदि कोई हों तो, पर टिप्पणियां प्रदान करेगा।

इसके अलावा, बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति का गठन किया है और देश भर में बांध सुरक्षा गतिविधियों की देखरेख करने और बांध सुरक्षा नीतियों को विकसित करने और देश में बांध सुरक्षा मानकों के संबंध में आवश्यक नियमों की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की है। इसके अलावा,

विनिर्दिष्ट बांधों वाले 28 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों ने बांध सुरक्षा संबंधी राज्य समिति का गठन किया है और राज्य बांध सुरक्षा संगठनों की स्थापना की है।

इसके अतिरिक्त, बांध सुरक्षा अधिनियम में विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र पैनल द्वारा देश में प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन का भी प्रावधान है।

(ग): राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा संकलित बडे (विनिर्दिष्ट) बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर, 2023 के अनुसार, भारत में 234 बड़े (विनिर्दिष्ट) बांध हैं, जो 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। इन बांधों की राज्य-वार सूची **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न है। हालांकि, यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि बांधों की उम्र बढ़ना इनके समग्र स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, बशर्ते इसे ठीक से रखा जाए और इसकी संरचनात्मक अखंडता, सुरक्षा सुविधाओं और संचालन को सुनिश्चित करने के लिए संरचना में समय पर मरम्मत की जाए।

(घ): महाराष्ट्र में, 44 बांध हैं जो 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। राज्य द्वारा हाल ही में किए गए मानसून पूर्व और मानसून पश्चात बांधों के निरीक्षण के अनुसार ऐसे किसी बांध में गंभीर कमी की सूचना नहीं मिली है जिसे बंद करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, प्राथमिकता के आधार पर बांधों के मानसून-पूर्व और बाद के निरीक्षण के दौरान पाई गई किसी भी कमी के मामले में उपचारात्मक उपाय भी किए जा रहे हैं।

ऐसे किसी बांध को बंद करने के लिए महाराष्ट्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुलग्नक

"बांधों की सुरक्षा जांच" के संबंध में दिनांक 21.12.2023 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतांराकित प्रश्न सं. 3197 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	100 वर्षों से अधिक पुराने बड़े बांधों की संख्या (जो वर्ष 1922 को या उससे पहले के निर्मित हैं)
1.	अंडमान और निकोबार	0
2.	आंध्र प्रदेश	6
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	0
5.	बिहार	1
6.	छत्तीसगढ़	7
7.	गोवा	0
8.	गुजरात	30
9.	हरियाणा	0
10.	हिमाचल प्रदेश	0
11.	जम्मू और कश्मीर और	0
12.	लद्दाख	0
13.	झारखंड	15
14.	कर्नाटक	1
15.	केरल	63
16.	मध्य प्रदेश	44
17.	महाराष्ट्र	0
18.	मणिपुर	0
19.	मिजोरम	0
20.	नागालैंड	0
21.	ओडिशा	3
22.	पंजाब	0
23.	राजस्थान	25
24.	सिक्किम	0
25.	तमिलनाडु	1
26.	त्रिपुरा	0
27.	तेलंगाना	21
28.	उत्तर प्रदेश	17
29.	उत्तराखंड	0
30.	पश्चिम बंगाल	0
कुल		**234**

*****